>

Title: Need to accord the status of civil servants to Gramin Dak Sewaks and provide them with all the service benefits.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देश में लगभग तीन लाख ग्राम डाक सेवकों को सिविल सेवक घोषित करके समुचित वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएं।

महोदय, जैसा आप भी जानते हैं और हमारे सभी साथी भी जानते हैं कि देश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में सभी प्रकार के मनीआर्डर, डाक सामग्री, पत्रों, डाक बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, अल्प बचत और नरेगा इत्यादि के अंतर्गत भुगतान के कार्य को अंजाम देने वाले डाक सेवक ही होते हैं। इन्हें पहले एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ईम्पलाई कहा जाता था, लेकिन वे अपनी निरंतर उपेक्षा और सरकार की उदासीनता से आंदोलित और उद्वेलित हैं[r83]।

पूर्व में तलवार समिति की अनुशंसाओं को अभी तक लागू नहीं किया गया। सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी उनकी मांगे मानना तो दूर, डाक विभाग उनकी सेवाओं को ही समाप्त करने पर उतारू है। उनका भयंकर शोषण हो रहा है। न वेतनमान हैं, न अवकाश है, न सेवा निवृत्ति का लाभ है और न ही किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के एक केस में इन ईडी कर्मचारियों को सरकारी पद धारक तथा अन्य केस में सिविल सेवक घोषित किया है। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इन तीन लाख ग्रामीण डाक सेवकों को सिविल सेवक मान कर वेतनमान, सुविधाएं, परिलाभ तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे तथा उनकी सेवा में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाए। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत धन्यवाद।